

इसे वेबसाइट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 जनवरी 2026—माघ 9, शक 1947

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2026

अधिसूचना

क्र.-एफ-65 NN-02-2025-पाँच-119.— मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 47 (3) के उपबंध तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 75 “झ” के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि नगरपालिका परिषद् देवरी, जिला सागर के अध्यक्ष को पद से वापस बुलाये जाने के संबंध में सम्पन्न हुए निर्वाचन में दिनांक 21 जनवरी 2026 को घोषित परिणाम के अनुसार श्रीमती नेहा अकलेश जैन, अध्यक्ष, पद पूर्ववत् धारण करतीं रहेंगी.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./—

(दीपक सिंह)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.